

कार्यालय आयुक्त,

गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ

दूरभाष: 0522-2204295, 2205310, फैक्स: 0522-2204163

टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203

Website: <https://www.upcane.gov.in> / E-mail: upcds@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/upcane>

Twitter: <https://www.twitter.com/canewebsite>

प्रेस-नोट

गन्ना किसानों को अधिक पैदावार देने वाली उन्नत गन्ना किस्मों का तोहफा

- गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में "उ.प्र. बीज गन्ना एवं गन्ना किस्म स्वीकृति उप समिति" की बैठक सम्पन्न।
- उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर द्वारा विकसित 03 गन्ना किस्में (को.शा.23232, को.शा.19235 व को.शा.18232) एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा विकसित गन्ना किस्म को.लख.21201 खेती के लिए अवमुक्त।
- स्वीकृत अगेती किस्में उपज व चीनी परता के निष्पादन में को.0238 से बेहतर।
- अगेती गन्ना किस्म को.शा.23232 तथा को.लख.21201 एवं मध्यदेर से पकने वाली गन्ना किस्म को.शा.19235 व को.शा.18232 सम्पूर्ण उ.प्र. के लिए अवमुक्त।
- भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड 08 गन्ना किस्में प्रदेश में खेती हेतु अंगीकृत। इसमें को.16030, को.17018, को.18022, को.पीबी.17215 (को.पीबी.99), को.पीबी.18213 (को.पीबी.100) मध्य एवं देर से तैयार होने वाली किस्में तथा को.पी.16437, को.पी.11438 एवं को.लख.16466 अगेती गन्ना किस्में हैं।
- को.पी.16437, को.पी.11438 पूर्वी उ.प्र. के लिए हैं तथा अन्य नोटिफाइड किस्में पश्चिमी एवं मध्य उ.प्र. के लिए अंगीकृत की गई हैं।
- अलोकप्रिय, नगण्य क्षेत्रफल एवं पुरानी 06 गन्ना किस्में को.शा.95255, 97264, 96275, 97261 एवं को.से.96436 व 98231 अनुपयुक्त घोषित, जो अगले 02 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से अस्वीकृत हो जायेंगी।

लखनऊ, 30 सितम्बर, 2026

प्रदेश की आयुक्त, गन्ना एवं चीनी की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2026 को गन्ना आयुक्त कार्यालय के सभागार में "बीज गन्ना एवं गन्ना किस्म स्वीकृति उप समिति" की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में नई गन्ना किस्मों के अवमुक्त करने पर चर्चा की गयी, जिसमें उप समिति के पदाधिकारियों सहित उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के वैज्ञानिक, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रगतिशील किसान एवं चीनी मिल प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा प्रस्तावित नई गन्ना किस्म को.शा.23232, को.शा.23231 एवं को.शा.19235 व को.शा.18232 के उपज एवं गन्ने में शर्करा के आंकड़ें प्रस्तुत किये गये। आंकड़ों के अनुसार अगेती किस्म को.शा.23232 के पौधा गन्ना की औसत उपज 95.56 टन/हे., प्राप्त हुई, जो मानक किस्म को.0238 की तुलना में 9.44 प्रतिशत अधिक है। को.शा.23232 में पोल प्रतिशत केन माह नवम्बर, जनवरी व मार्च में शर्करा प्रतिशत क्रमशः 13.10, 13.77 व 14.31 पाया गया, जो मानक किस्म को.0238 की तुलना में क्रमशः 0.09, 0.24, 0.12 प्रतिशत अधिक है। पेड़ी की उपज 80.57 टन/हे. प्राप्त हुई, जो मानक प्रजाति को.0238 की तुलना में 3.16 प्रतिशत अधिक है। यह किस्म लाल सड़न रोग के प्रति रोगरोधी है तथा इसकी पेड़ी अच्छी होती है। विचार-विमर्श उपरान्त गन्ना किस्म को.शा.23232 जो उत्पादन एवं चीनी परता के दोनों मानकों पर लोकप्रिय गन्ना किस्म को.0238 से अच्छी पाये जाने के फलस्वरूप खेती

के लिए स्वीकृत की गयी। निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर ने बताया कि यह गन्ना किस्म किसानों के लिए को.0238 का सर्वोत्तम विकल्प सिद्ध होगी और गन्ने एवं चीनी उत्पादन की वृद्धि में सहायक होगी।

अगेती गन्ना किस्म को.शा.23231 के उपज एवं शर्करा प्रतिशत के आंकड़ें उत्साह वर्धक रहे किन्तु रोगरोधिता के आंकड़ें पूर्ण उपलब्ध न होने के कारण उप समिति की आगामी बैठक माह जनवरी-फरवरी में आहूत करने एवं उक्त बैठक में पूर्ण आंकड़ों सहित विचार करने का निर्णय लिया गया।

अग्रेतर उप समिति द्वारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा विकसित अगेती गन्ना किस्म को.लख.21201 को अवमुक्त करने पर विचार किया गया। इस गन्ना किस्म के पौधा गन्ना की औसत उपज 86.57 टन प्रति हेक्टेयर है, जो किस्म को.0238 के लगभग समान है। को.लख.21201 में पोल इन केन 13.94 प्रतिशत पाया गया, जो किस्म को.0238 के 13.71 से अधिक है। यह किस्म लाल सड़न रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता एवं उच्च पेड़ी क्षमता रखने वाली सीधी तने वाली गन्ना किस्म है। इसे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त गन्ना शोध परिषद की दो मध्य एवं देर से पकने वाली किस्में भी रिलीज की गयी है। किस्म को.शा.19235 के आंकड़ों के अनुसार पौधा गन्ना की औसत उपज 87.58 टन/हे. प्राप्त हुई, जो मानक प्रजाति को.शा.767 की तुलना में 21.01 प्रतिशत अधिक है। को.शा.19235 में पोल प्रतिशत केन माह नवम्बर, जनवरी व मार्च में क्रमशः 11.89, 13.07 व 13.74 पाया गया, जो मानक प्रजाति को.शा.767 की तुलना में क्रमशः 0.88, 0.58, 0.38 अधिक पाया गया एवं को.शा.19235 की पेड़ी की उपज 73.90 टन/हे. प्राप्त हुई, जो मानक किस्म को.शा.767 की तुलना में 11.36 प्रतिशत अधिक है। आशा है कि यह गन्ना किस्म प्रदेश में प्रजातीय संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

मध्य देर से पकने वाली अन्य गन्ना किस्म को.शा.18232 के आंकड़ों के अनुसार पौधा गन्ना की औसत उपज 92.38 टन/हे. प्राप्त हुई, जो मानक किस्म को.शा.767 की तुलना में 26.51 प्रतिशत अधिक है। को.शा.18232 में पोल प्रतिशत केन माह नवम्बर, जनवरी व मार्च में क्रमशः 11.57, 12.87 व 14.05 पाया गया, जो मानक प्रजाति को.शा.767 की तुलना में क्रमशः 0.08, 0.18, 0.16 अधिक पाया गया एवं को.शा.18232 की पेड़ी की उपज 82.06 टन/हे. प्राप्त हुई, जो मानक प्रजाति को.शा.767 की तुलना में 23.70 प्रतिशत अधिक है।

भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड 08 गन्ना किस्मों को प्रदेश में खेती हेतु अंगीकृत किया गया है। इसमें को.पी.16437, को.पी.11438 एवं को.लख.16466 अगेती गन्ना किस्में हैं तथा को.16030, को.17018, को.18022, को.पीबी.17215 (को.पीबी.99), को.पीबी.18213 (को.पीबी.100) मध्य एवं देर से पकने वाली गन्ना किस्में हैं।

उप समिति की बैठक में कृषक हित को देखते हुए अलोकप्रिय, नगण्य क्षेत्रफल एवं पुरानी 06 गन्ना किस्मों यथा-को.शा.95255, 97264, 96275, 97261 एवं को.से.96436 व 98231 को अनुपयुक्त घोषित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त गन्ना किस्में अगले 02 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से अस्वीकृत हो जायेंगी।

उच्च उपज एवं चीनी परता देने वाली नवीन गन्ना किस्मों के स्वीकृत होने से किसानों को गन्ना खेती हेतु किस्मों के बहुत से विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी गन्ना उपज में वृद्धि होगी एवं प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे साथ ही चीनी परता में वृद्धि होने से चीनी उद्योग को भी लाभ होगा।